संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल -462016 (म.प्र.)

भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न निकायों में ''सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठकों'' के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु MP ऑनलाइन वेबपोर्टल-www.mponline.gov.in के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।

शर्ते -1- विज्ञापन से संबंधित जानकारी वेबपोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

2. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गये अथवा अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जायेगा।
3. योग्य आवेदकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
4. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी संविदा भर्ती नियम 2021 के अनुसार MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
5. MP ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2021 है।
6. केवल MP ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगें एवं किसी भी अन्य स्त्रोत से प्राप्त आवेदन को निरस्त माना जायेगा।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मध्यप्रदेश को बिना कोई कारण जाहिर किये भर्ती प्रकिया निरस्त करने का अधिकार होगा ।
8. संविदा पदों की अवधि का निर्धारण मिशन संचालक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा मिशन की निर्देशिका अनुसार किया जाएगा।

मिशन संचालक
डे-एनयूएलएम

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राज्य शहरी आजीविका मिशन, मध्यप्रदेश अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ (सिटी मिशन मैनेजर) एवं सामुदायिक संगठक के रिक्त पदो हेतु संविदा भर्ती नियम निर्देश–2021

1. पदों की संख्या, आरक्षण तालिका :–

पद	पदों की संख्या	Total Category Wise						Open						Female(50%)						मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या (06प्रतिशत)				
		UR	SC (16%)	ST (20%)	OBC (27%)	EWS (10%)	TOTAL	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	VH (1.5%)	HH (1.5%)	OH (1.5%)	MD (1.5%)	TOTAL
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
तकनीकी विशेषज्ञ (सिटी मिशन मैनेजर)	69	18	11	14	19	7	69	9	5	7	9	3	33	9	6	7	10	4	36	1	1	1	1	4
सामुदायिक संगठक	460	124	74	92	124	46	460	62	37	46	62	23	230	62	37	46	62	23	230	7	7	7	7	28

- निःशक्तजनों के लिये कुल रिक्तियों मे से जिस श्रेणी का निःशक्तजन अभ्यर्थी इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। कुल रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

2. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :–

क्र.	पद	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1.	तकनीकी विशेषज्ञ (सिटी मिशन मैनेजर)	1. मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) **अथवा** 2. मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र **अथवा** 3. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) एवं मान्यता 4. उक्त तीनो शैक्षणिक योग्यता मे से किसी एक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डीसीए/पीजीडीसीए होना अनिवार्य।
2.	सामुदायिक संगठक	किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डीसीए/पीजीडीसीए उत्तीर्ण।

3. आरक्षण :–

- रोस्टर अनुसार महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।
- अभ्यर्थी म.प्र. राज्य परिसीमन से बाहर का है एवं आरक्षित श्रेणी का है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की आरक्षित श्रेणी यदि म.प्र. के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है तो ही उस अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अनारक्षित वर्ग में रखा जावेगा।

4. मानदेय प्रति माह :–

- तकनीकी विशेषज्ञ (सिटी मिशन मैनेजर) का मानदेय प्रतिमाह रूपये – 30,000/–
- सामुदायिक संगठकों का मानदेय प्रतिमाह रूपये – 12000/–

5. आयु सीमा :–

- तकनीकी विशेषज्ञ (सिटी मिशन मैनेजर) के पदों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
- सामुदायिक संगठक के पदों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी।
- आरक्षित संवर्गो/महिला आवेदको को सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. सी–3–11/12/1/3 दिनांक 03/11/2012 एवं 20/11/2012 के अनुसार नियमानुसार आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- विकलांगो को सभी पदों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी।
- यदि आवेदक दोनो पदो (सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक) के लिये आवेदन करता है तो न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 30 वर्ष होगी।
- **आयु की गणना हेतु संदर्भ तिथि 01 जनवरी 2021 होगी।**

6. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :–

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों का अध्ययन करें।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाईट MP.ONLINE.GOV.IN के माध्यम से भरा जा सकता है।
- आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो।
- समस्त प्रमाण पत्र जैसे–जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किये हुए ही मान्य होंगे।

7. पद के लिए निरहर्ता :–

- किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
- कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित है, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय अथवा चयन तिथि से 02 माह तक लंबित रखा जायेगा।

- शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न पाये जाने पर।
- फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में डे–एनयूएलएम योजना अंतर्गत कार्य कर चुके है तथा जिनकी सेवाऐं मिशन अंतर्गत समाप्त की गई है, वह परीक्षा/चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. दस्तावेजों का परीक्षण :–

दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि आमंत्रित अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त जानी जायेगी। अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जायेगा। दस्तावेजों में असत्यता पाई जाने पर चयनित अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :–

- विज्ञापन अनुसार निर्धारित योग्यता की पूर्ति करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक 08/10/2021 से दिनांक 27/10/2021 तक भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, एवं जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति, स्केन कर संलग्न करते हुए भरा जावे। वांछित शैक्षणिक योग्यता हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन अपूर्ण होने के स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।
- अभ्यर्थी सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक के पदो हेतु पृथक–पृथक अथवा दोनो पदो हेतु एक साथ आवेदन कर सकते है।
- एक से अधिक पद पर चयनित होने पर पद का निर्णय मिशन डायरेक्टर द्वारा किया जायेगा।
- समस्त पदों हेतु ऑनलाईन परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- अंतिम रूप से चयन होने पर सेवायें 01 वर्ष हेतु संविदा आधार पर अनुबंध पर ली जावेगी। सेवाएं संतोषप्रद होने पर अनुबंध का पुनः एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।
- चयन उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित नगरीय निकाय के साथ ही अनुबंध कर कार्य करना होगा। आवंटन उपरांत निकाय में परिवर्तन नही किया जाएगा।
- विज्ञापन में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि/कमी करने का अधिकार आयुक्त/मिशन संचालक, डे–राज्य शहरी आजीविका मिशन का होगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय हेतु आयुक्त/मिशन संचालक, डे–राज्य शहरी आजीविका मिशन का होगा।
- आवेदन पत्र में सही जानकारी देना अभ्यर्थी/आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। सभी संबंधित जानकारी समय–समय पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाईट पर ही दी जायेगी।

निरंतर...

10. **परीक्षा केन्द्र :–**

परीक्षा म.प्र. के जिले क्रमशः **भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना** में आयोजित की जावेगी। आयोजित परीक्षा केन्द्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार दीनदयाल अंत्योदय योजना–राज्य शहरी आजीविका मिशन का होगा।

11. परीक्षा हेतु किसी भी श्रेणी के अभ्यार्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

12. यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाईन परीक्षा में समतुल्य अंक प्राप्त होते है तो निम्न बिन्दुओं को प्राथमिकता का आधार माना जावेगा :–

- अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- जन्म तिथि भी समान होने पर हायर सेकेण्डरी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- आयु व हायर सेकेण्डरी के प्राप्तांक भी समान होने की दशा में हाई स्कूल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

13. **परीक्षा का सिलेबस :–**

- विज्ञापित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम 65 अंक, 15 अंक कम्प्यूटर तथा शेष 20 अंक Analytical Reasoning Section/Mathematics or Quantitative Section/GA Section/English - Grammar Section Total 100 Question व 100 अंको का होगा।

14. **न्याय क्षेत्राधिकार :–**

किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।

(आयुक्त महो. द्वारा अनुमोदित)

अपर आयुक्त एवं अति. मिशन संचालक
डे–राज्य शहरी अजीविका मिशन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल